

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

संख्या 223 / 2020

निर्णय दिनांक :- 22.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

ईश्वर लाल पुत्र लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव ढिगारिया तहसील  
दूनी जिला टोंक राज0 —प्रार्थी—

बनाम

तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक राज0

— अप्रार्थी—

उपस्थिति :-

श्री रमेश चन्द शर्मा

अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 80 खसरा नम्बर 49 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.33 है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 277 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 493/617 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर

B. 1. 2. 4

रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 498 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.38 है0 कुल किता- 44, कुल रकबा 15.68 है0 एवं खाता संख्या 81 खसरा नं. 480 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम ढिगारिया तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में गलती से सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम गांव की बोलचाल की भाषा में प्रार्थी को इसरा पुकारा जाता था इस कारण ईश्वर लाल की जगह इसरा पुत्र लाला अंकित हो गया जो पूर्ण रूप से गलत है। प्रार्थी का अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र में ईश्वर लाल पुत्र लाला गुर्जर अंकित है जो सही है व सत्य है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गलत अंकन होने से परेशानी हो रही है तथा राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है तथा ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहा हैं ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

तहसीलदार दूनी की ओर से परोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:- बिन्दु नं. 1 आंशिक रूप से सही है। बिन्दु नं. 2 वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु नं. 3 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु नं. 4, 5 व 6 कानूनी है, न्यायालय से संबंधित है।


पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

परोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया व परोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 80 व 81 में प्रार्थी का नाम इसरा पुत्र लाला दर्ज राजस्व अभिलेख है। जबकि सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, ग्राम पंचायत चांदसिंहपुरा का प्रमाण पत्र दिनांक 20.08.2020, परिवार राशन कार्ड व पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम ईश्वर लाल पुत्र लालाराम अंकित है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिको से प्रार्थी के उक्त नामों में काफी समानता होने के कारण लिपिकीय त्रुटिवश इसरा पुत्र लाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया, जिसको न्यायहित में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूनी को जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 80 व 81 वाके ग्राम नयागांव ढिगारिया पटवार हल्का चांदसिंहपुरा तहसील दूनी में प्रार्थी का नाम इसरा पुत्र लाला के बजाय ईश्वर लाल पुत्र लालाराम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली